

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

राहुल कुंजनायक उर्फ गंगुली वगैरे बनाम सतीश मोगी वगैरे

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

की गई कार्रवाई

अगिलेख सं०-एम.....174.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रमारी
 तमाड के अप्राथमिकी सं०-58/17 दिनांक-17/12/17 प्रस्तुत
 पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि आपस में दोनों
 पक्षों के विरुद्ध उग्रता संभल करने के
 संबंध में विवाद को लेकर उग्र पक्ष में तनाव है

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति
 क्षुब्ध होगी या उग्र पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे
 जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त
 पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उग्र पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं०
 की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उग्र पक्ष/द्वितीय
 पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष
 तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक
 हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि
 दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अगिलेख तिथि19/01/18..... को उपस्थापित करें।
 लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
 बुण्डू।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
 बुण्डू।

19-01-18

अगिलेख उपस्थापित / उग्र पक्ष
 उपस्थित / उग्र पक्ष जवाब दाखिल
 की। दिनांक 12-02-18 को रखे।

19/1/18

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
3-07-18	<p>2^० अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र क्रमांक 02 उपस्थित अन्य अनुपस्थित द्वितीय पत्र अधिलेखन जारी। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। उक्त वाद में अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है।</p>


 23/7/18